इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2021—श्रावण 26, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. एफ—2—33—2019—(पचपन).— मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के कार्यकलापों एवं कुप्रबंध के संबंध में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उदभूत हो गई है. जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 51 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 12, 13, 21 से 25, 27 और 41 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 16 अगस्त 2021 से लागू समझे जाएंगे.

No. F-2 33-2019-(LV).-WHEREAS, on the basis of a report received from the Commissioner Medical Education, regarding mismanagement of affairs of the Madhya Pradesh Ayurvigyan University, Jabalpur and the material which has been made available, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the admisnistration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) without detriment to the interest of the University, and it is expedient in the interest of the University so to do ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 51 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, directs that the provisions of Section 12, 13, 21 to 25, 27 and 41 of the said Act shall be deemed to apply to the said University with effect from 16th August, 2021 subject to the modifications specified in the Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. दुबे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.